

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: परिपत्र ::

समसंख्यक परिपत्र दिनांक : 25.3.12 द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग में सत्र 2011-12 से प्रभावी "परीक्षा एवं कक्षोन्नति नियम : 2011-12" के बिन्दु संख्या-(2) सामान्य नियम : 2 (क) परीक्षा प्रवेश योग्यता के उप बिन्दु (2) में यह स्पष्ट किया गया है कि कक्षा-9 व 11 वार्षिक परीक्षा में उसी विद्यार्थी को सम्मिलित किया जाएगा, जिसने कम से कम दो लिखित सामयिक परखें दी हो या एक लिखित परख और अर्द्धवार्षिक परीक्षा दी हो और जिस परीक्षा/परख में वह सम्मिलित नहीं हुआ, उसके कारणों की प्रामाणिकता से संस्था प्रधान को पूर्णतया संतुष्ट कर दिया हो।


माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा कक्षा-10 के परीक्षा परिणाम की संवीक्षा पश्चात् विलम्ब से जारी किए जाने वाले संशोधित परीक्षा परिणाम में उत्तीर्ण घोषित विद्यार्थियों के प्रकरण में उपर्युक्त प्रावधान में बोर्ड द्वारा संशोधित परीक्षा परिणाम जारी किए जाने की तिथि से पूर्व आयोजित की जा चुकी परख/अर्द्धवार्षिक परीक्षा दिए जाने की शर्त से एतद् द्वारा शिथिलन प्रदान किया जाता है।

स्पष्टीकरण : उपर्युक्त प्रकरणों में विद्यार्थी की उपस्थिति की गणना सन्दर्भित परिपत्र दिनांक : 25.3.12 के बिन्दु संख्या-2 (ख) के उप बिन्दु (5) में प्रदत्त निर्देशानुसार की जाएगी।


(बी०एल०स्वर्णकार)
आई०ए०एस०
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर
दिनांक : 16-03.2016

क्रमांक : शिविरा-माध्य/मा-स/22497/कक्षो. नियम/2011-12/176
प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. विशेषाधिकारी(शिक्षा), शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
3. समस्त मण्डल उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा।
4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक-प्रथम/द्वितीय।
5. वरिष्ठ सम्पादक, "शिविरा", प्रकाशन अनुभाग, कार्यालय हाजा को आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
6. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड एवं समस्त माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के ई-मेल पते पर प्रेषित किए जाने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।


उप निदेशक(माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर